दिनांक 09.01.2024 को माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में आहूत बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. न्यायमूर्त्ति श्री अनंता मनोहर बदर, माननीय अध्यक्ष - उपस्थित।
2. श्री उज्ज्वल कुमार दुबे, माननीय सदस्य - उपस्थित।
3. श्री शशि शेखर शर्मा, माननीय सदस्य - अनुपस्थित।

विचारणीय विषय/एजेन्डाः-

1. दिनांक 21.12.2023 की बैठक में लिए गये निर्णय की सम्पुष्टि।
2. बिहार मानवाधिकार आयोग के कार्यालय हेतु स्वीकृत कार्यालय परिचारी एवं वाहन चालक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु कार्यालय परिचारी (संविदा) नियोजन नियमावली, 2023 व वाहन चालक (संविदा) नियोजन नियमावली, 2023 को गृह (विशेष) विभाग, बिहार के माध्यम से संसूचित करने के संबंध में।
3. आयोग के माननीय सदस्य, श्री शशि शेखर शर्मा, के गै0स0प्रे0संख्या-35, दिनांक-27.12.2023 द्वारा प्राप्त पीत पत्र के संबंध में।
4. आयोग के माननीय अध्यक्ष के अनुमति से अन्यान्य विषय।

निर्णय :-

1. आयोग के दिनांक-21.12.2023 की बैठक की कार्यवाई की सम्पुष्टि की जाती है।

2. संचिका सं0-ओ0/बि0मा0आ0-21/22 के पृष्ठ संख्या-08/टी0 मे सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में बिहार मानवाधिकार आयोग के कार्यालय परिचारी (संविदा) नियोजन नियमावली, 2023 व वाहन चालक (संविदा) नियोजन नियमावली, 2023, जिसको राज्य आयोग के दिनांक 20.12.2023 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किया जा चुका है, को गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से संसूचित करने से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है।

3. बिहार मानवाधिकार आयोग के दिनांक-19.12.2023 को संपन्न बैठक की कार्यवाई के बिन्दु संख्या-03 के संदर्भ में आयोग के माननीय सदस्य,

श्री शशि शेखर शर्मा, के गै0स0प्रे0संख्या– 35, दिनांक–27.12.2023 के द्वारा प्राप्त पीत पत्र पर पुनः विचार किया गया। आयोग की दिनांक 08.01.2024 को हुई पूर्व बैठक में भी उक्त पीत–पत्र के विषय का एजेंडा विचार हेतु निर्धारित था, किन्तु उक्त बैठक में माननीय सदस्य, श्री शशि शेखर शर्मा के अनुपस्थित रहने के कारण इसे आज दिनांक–09.01.2024 की बैठक में विचार करने हेतु पुनः एजेंडा में रखा गया।

आज माननीय सदस्य, श्री शशि शेखर शर्मा, के आप्त सचिव द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय सदस्य, श्री शर्मा, आकस्मिक अवकाश पर है। दिनांक 19.12.2023 को संपन्न आयोग की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेन्डा पर निर्णय लिया गया था, जिसका आयोग के कार्यहित में यथाशीध्र कार्यान्वयन किया जाना आवश्यक है।

माननीय सदस्य, श्री शशि शेखर शर्मा, के द्वारा अपने उपरोक्त कथित पीत पत्र में दिनांक 19.12.2023 की बैठक में लिये गये निर्णयों में से मात्र एक निर्णय (कार्यवाई बिन्दु संख्या–03) पर प्रश्न/आपत्ति किया गया है। उक्त के आलोक में आयोग के द्वारा माननीय सदस्य, श्री शशि शेखर शर्मा, के उपरोक्त कथित पीत पत्र में उल्लेखित आपत्ति पर विचार किया गया। माननीय सदस्य, श्री शशि शेखर शर्मा, द्वारा कार्यवाई संख्या–03 में लिये गये निर्णय पर जो आपत्ति की गई है, वह उनके पीत पत्र से ही परस्पर विरोधाभासी प्रतीत होता है। माननीय सदस्य, श्री शर्मा द्वारा अपने पीत पत्र में उल्लेखित किया गया है कि आयोग द्वारा दिनांक 19.12.2023 को संपन्न बैठक की कार्यवाई संख्या–03 पर विचार करते समय Advisory Committee हेतु किसी विशेष सदस्य के विषय पर विमर्श नही किया गया जबकि उसी पीत–पत्र में उनका कथन है, कि उक्त एजेन्डा पर विचार विमर्श के समय उनके द्वारा यह सलाह दी गई कि Advisory Committee में आयोग के निबंधक के स्थान पर आयोग के सचिव को रखा जाय।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा–21 (3) के प्रावधानानुसार, राज्य आयोग के

सचिव, आयोग के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी हैं तथा Advisory Committee के अनुशंसा पर सचिव के प्रस्ताव के बाद आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा चिकित्सा संबंधी दावों पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। इसके अतिरिक्त दिनांक 21.12.2023 को आयोग की बैठक में दिनांक–19.12.2023 को आयोग की बैठक में लिये गये सभी निर्णयों की संपुष्टि भी की जा चुकी है। अतः दिनांक–19.12.2023 की बैठक की कार्यवाई संख्या–03 सहित लिये गये सभी निर्णयों को बहुमत के आधार अनुमोदित किया जाता है।

4. राज्य आयोग के माननीय अध्यक्ष के अनुमति से श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, द्वारा माननीय अध्यक्ष को संबोधित उनके पत्रांक–01/रजि0 दिनांक–08.01.2024 को आयोग के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिसमें निबंधक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि पुनरीक्षित वेतन के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा निर्गत वेतन पर्ची संख्या–06122307003691 के आलोक में दिनांक–09.09.2020 से दिनांक–08.09.2023 तक की अवधि के वेतन की अन्तर राशि के भुगतान में आयोग सचिवालय द्वारा विलम्ब किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि श्री सिंह के पुनरीक्षित वेतन के आलोक में उपरोक्त कथित अवधि के वेतन की अन्तर राशि के भुगतान से संबंधित संचिका उनके समक्ष आयोग के सचिव द्वारा उपस्थापित की गई है। उक्त के आलोक में श्री सिंह के उपरोक्त कथित आवेदन को संबंधित संचिका के साथ आयोग की अगली बैठक में उपस्थापित करने का निर्णय लिया गया।

5. आयोग के माननीय अध्यक्ष की अनुमति से आयोग के माननीय सदस्य, श्री उज्ज्वल कुमार दुबे, द्वारा आयोग के समक्ष आयोग के संयुक्त सचिव द्वारा पत्रांक संख्या–16566, दिनांक–06.09.2023 के द्वारा माननीय सदस्य, श्री उज्ज्वल कुमार दुबे से संबंधित बिहार विधान सभा के एक माननीय सदस्य से किये गये पत्राचार का विषय उठाया गया। माननीय सदस्य, श्री उज्ज्वल कुमार दुबे द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अपने गै0स0प्रे0संख्या–219, सह पठित 220, दिनांक–28.12.2023 व गै0स0प्रे0संख्या–231, दिनांक–11.12.2023 के द्वारा आयोग के संयुक्त सचिव से, उनके द्वारा किये गये पत्राचार से संबंधित संचिका की माँग की

गई, लेकिन उनके द्वारा अभी तक सम्बन्धित संचिका अवलोकनार्थ न तो प्रस्तुत किया गया और न ही इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को कोई सूचना ही दी गई। आयोग के संयुक्त सचिव के उपरोक्त कृत्य पर आयोग द्वारा आपत्ति प्रकट की गई है तथा यह निर्णय लिया गया कि आयोग की अगली बैठक में उपरोक्त विषयक संचिका को आयोग के समक्ष उपस्थापित किया जाय।

6. आयोग द्वारा माननीय अध्यक्ष की अनुमति से यह भी निर्णय लिया गया कि आयोग की सभी बैठकों की कार्यवाईयों को आयोग के बेवसाईट पर अपलोड कर दिया जाय साथ ही साथ आयोग की प्रत्येक अगली बैठक में पूर्व की बैठक के निर्णयों का आयोग सचिवालय द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

–ह0–
(श्री उज्जवल कुमार दुबे)
माननीय सदस्य

–ह0–
(न्यायमूर्त्ति श्री अनंता मनोहर बदर)
माननीय अध्यक्ष

ज्ञापांकः बी0एच0आर0सी0/स्था0– 26/2013 ......529...... पटना, दिनांक/12/01/2024

प्रतिलिपिः माननीय अध्यक्ष कोषांग/ माननीय सदस्यगण कोषांग/ सचिव कोषांग/ अपर पुलिस महानिदेशक कोषांग/ निबंधक कोषांग, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. संयुक्त सचिव/ अवर सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना)/ प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा एवं आपूर्ति)/ प्रशाखा पदाधिकारी (परिवाद) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सुश्री सुप्रिया कुमारी, आई0 प्रबंधक, को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

12/1/2024

संयुक्त सचिव
बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना।